दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 05 अक्टूबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 10

प्रियंका वाड्रा के लखीमपुर जाने से पुलिस की ओर से रोके जाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में निघासन तहसील के तिकुनिया कस्बे में रविवार दोपहर उपद्रव हो गया जिसमें आठ लोगों की मौत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को रविवार देर रात लखनऊ से लखीमपुर जाने से पुलिस की ओर से रोके जाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस की घेराबंदी को धता बताकर प्रियंका तो लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। वहीं सोमवार तड़के तीन बजे लखीमपुर जाने की तैयारी में जुटे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जबकि सुबह प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी सोमवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। लखीमपुर खीरी जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सीतापुर के खैराबाद टोल प्लाजा पर रोक लिए। उन्हें गिरफ्तार कर सीतापुर पुलिस लाइन में बैठा लिया गया।

सरकार जहां शांति बनाये रखने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लखीमपुर में नहीं होने देना चाहती है, वहीं विपक्षी वहां जाने के लिए आमादा हैं। प्रियंका वाड्रा को सोमवार सुबह लखनऊ आना था लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद वह रविवार रात 9.15 बजे लखनऊ पहुंच गई। अमौसी हवाई अड्डे से वह सीधे गोखले मार्ग स्थित कौल हाउस पहुंचीं जहां सलाहकारों से विचार विमर्श के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रविवार देर रात ही लखीमपुर जाने के लिए निकलीं। जैसे ही प्रियंका की गाड़ी कौल हाउस से निकली तो पुलिस ने उसे रोक दिया। तमतमाई प्रियंका गाड़ी से उतरीं और पुलिस अधिकारियों से उनकी झड़प हुई। इसके बाद वह बारिश और बूंदाबांदी के बीच बालू अड्डे तक पैदल गई। उनके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम था। बालू अड्डा चौराहे पर वह इनोवा में बैठकर लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। उनके वाहन के पीछे कांग्रेसी नेताओं की गाड़ियों का काफिला था।

प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जो आज हुआ वह दिखता है की ये सरकार किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है। किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। यह देश किसानों का देश है, भाजपा की विचार धारा की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है, उसके लिए शब्द ही नहीं है। कई महीने से किसान अपनी आवाज उठा रहा है की उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को मौके पर जाने के लिए कहा है। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने सतीश मिश्र को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया है। सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि हमें लिखित आदेश उपलब्ध कराया गया है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी भी कानून में ही विश्वास रखती है। हम अपने लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि हमारे लोग पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और सोमवार को बैठक होगी जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। इस घटना पर उन्होंने कहा कि हमारी पूरी पार्टी किसानों के साथ में है। मृतकों के प्रति हमारी विनम्र संवेदना है। हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।

भूपेश बघेल व चन्नी भी आएंगे ः लखीमपुर घटना को लेकर विपक्ष की सियासत में कांग्रेस बढ़त बनाना चाहती है। प्रियंका और राहुल के अलावा कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी सोमवार को लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं।

घटना की हो सीबीआइ जांच ः आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने घटना की सीबीआइ जांच कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और मृत किसानों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर सोमवार सुबह लखीमपुर खीरी जाएंगे और पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

मनी लांड्रिंग में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र समेत तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा और पूर्व मालिक संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को गिरफ्तार किया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी ने कार्नौस्टी मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के राजेश मलिक को भी गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी तीनों को कल यानि मंगलवार को कोर्ट में पेश करेगी। .प्रवर्तन निदेशालय ने इन तीनों को सोमवार शाम को दिल्ली से अरेस्ट किया है। आरोप है कि इन्होंने खरीदारों के पैसे का गबन किया और उस पैसे को रियल स्टेट में लगाया था. हाल ही में ईडी ने नोएडा में इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की थी. संजय चन्द्रा और उनके भाई पहले से ही मुंबई जेल में बंद है, इसके पहले वो तिहाड़ जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें मुंबई जेल शिफ्ट किया गया था।

पंजाब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति नहीं मिली

लखनऊ(आरएनएस)। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को राज्य की राजधानी में नहीं आने को कहा गया है। लखनऊ हवाईअड्डा अधिकारियों को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू कर दी गई है और स्थिति को देखते हुए नेताओं को जिले में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार की हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने लखीमपुर खीरी जाने वाले थे। इससे पहले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के हरगांव में रोक दिया गया, जब वह लखीमपुर खीरी जा रही थीं। रविवार को हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई है और उत्तर पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 15 अन्य के खिलाफ हत्या और हिंसा भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

प्रधानमंत्री ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने स्मरण करते हुये कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां 2003 में स्विट्जरलैंड से भारत लाई गई थीं और 2015 में इंग्लैंड से उनकी मरणोपरान्त बहाली का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने कई ट्वीट में कहा है : महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कृतज्ञ राष्ट्र आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां 2003 में स्विटजरलैंड से वापस लाने का और 2015 में इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उनका मरणोपरान्त बहाली प्रमाणपत्र पात्त करने का अवसर मुझे मिला, जिसे मैं अपने लिये आशीर्वाद मानता हूं।

भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 90.79 करोड़ से अधिक हुआ

नई दिल्ली (आरएनएस)। 24 घंटों में 23,46,176 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 90.79 करोड़ (90,79,32,861) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 88,05,668 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है। पिछले 24 घंटों में 26,718 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 3,31,21,247 हो गई है। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.89त्र है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 99 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20,799 नए मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में 2,64,458 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 200 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.78 प्रतिशत हैं। देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,91,676 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 57.42 करोड़ (57,42,52,400) जांच की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को जारी किया नोटिस

» दिल्ली-नोएडा मार्ग ब्लॉक करने का कारण पूछा

नई दिल्ली (आरएनएस)। लखीमपुर खीरी में हुए खूनखराबे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली-नोएडा मार्ग पर रास्ता ब्लॉक किए जाने को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जब हमने तीन कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा रखी है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल, नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल ने किसान आंदोलन के चलते दिल्ली- नोएडा यातायात बाधित रहने का मसला उठाया था। किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने की मांग को कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। इस मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इसी मसले को लेकर हरियाणा सरकार ने अंतरिम अर्जी दाखिल कर 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। हरियाणा सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-नोएडा मार्ग अवरुद्ध करने को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर किसान संगठनों से जवाब मांगा है। मामले में शीर्ष अदालत ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है।

पति-पत्नी साथ नहीं रह सकते तो एक-दूसरे को छोड़ना ही बेहतर : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक पति-पत्नी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते हैं तो उन्हें एक-दूसरे को छोड़ना ही बेहतर होगा। दरअसल यह मामला एक दंपती का है, जो 1995 में शादी के बाद से महज 5 दिन साथ रहा है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने हाईकोर्ट के तलाक के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली पत्नी से कहा कि आपको व्यवहारिक होना चाहिए, पूरी जिंदगी अदालत में एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं बिताई जा सकती। आपकी उम्र 50 साल और पति 55 साल के हैं। पीठ ने दंपती को स्थायी गुजारा भत्ता पर पारस्परिक रूप से निर्णय लेने के लिए कहा और दिसंबर में याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है।

पत्नी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा तलाक को मंजूरी देना गलत था। हाईकोर्ट ने इस बात की भी अनदेखी की कि समझौते का सम्मान नहीं किया गया था। वहीं पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि वर्ष 1995 में शादी के बाद से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। दांपत्य संबंध सिर्फ पांच-छह दिन तक चला।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा क्रूरता और शादी के अपरिवर्तनीय टूट के आधार पर तलाक की अनुमति देना बिल्कुल सही था। वकील ने कहा कि पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और वह स्थायी गुजारा भत्ता देने को तैयार है।

पति ने दावा किया कि 13 जुलाई, 1995 को शादी के बाद उच्च शिक्षित और संपन्न परिवार से आने वाली उनकी पत्नी ने उन पर अपनी बूढ़ी मां और बेरोजगार भाई को छोड़ अगरतला स्थित अपने घर में 'घर जमाई' बनकर रहने के लिए दबाव डाला। पत्नी के पिता आईएएस अधिकारी थे। पति ने मामले को शांत करने की हरसंभव कोशिश की लेकिन पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। तब से दोनों अलग रह रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की अर्जी स्थगित

» अब 22 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर तक मामले की सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। सरकार ने आरोप लगाया गया था कि सीबीआई राज्य में चुनाव बाद हिंसा मामलों की जांच बिना उसकी अनुमति के आगे बढ़ा रही है जो गैरकानूनी है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने साफ कहा कि वह इस मामले को अब और स्थगित नहीं करेगी और दशहरा की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई करेगी। पीठ ने कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 20 सितंबर, 2021 से पहले ही इस संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन केन्द्र की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। पीठ ने आगे कहा कि मामले को 22 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं।

लखीमपुर घटना : मृत किसानों के परिवारों को मिलेंगे 45-45 लाख रुपए, एक पारिवारिक मेंबर को नौकरी

लखीमपुर-खीरी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई दुखद घटना को लेकर प्रशासन और किसानों में समझौता हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा, मृत किसानों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा देने के साथ ही न्यायिक जांच को लेकर सहमति बन गई है। घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही नई कमेटी का गठन किया जाएगा जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मामले की जांच करेगी। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया है कि दोषियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, जांच जारी है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। यहां लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहली बात हुई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम एफआईआर में दर्ज हुआ है, 10-11 दिन का जो समय प्रशासन ने मांगा है अगर उसके अंदर का कार्रवाई नहीं की गई तो हम पंचायत करेंगे, हम किसानों के दाह संस्कार तक यही रहेंगे और पांच डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमॉर्टम होगा और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ही किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए हमें बहुत सारी वीडियो सबूत नहीं मिले हो लेकिन जैसे ही इंटरनेट चलेगा, आपके पास कोई वीडियो है तो वह हमें जरूर भेजें।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यसभा से संसद सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री से यह उनकी पहली मुलाकात थी। डॉ. मुरुगन ने प्रधानमंत्री को तिरुक्कुरल-पर्ल्स ऑफ इंस्पिरेशन पुस्तक की एक प्रति भेंट की तथा उनके सशक्त नेतृत्व में न्यू इंडिया के लोगों के कल्याण हेतु कर्मठतापूर्वक काम करने के लिए मार्गदर्शन की अपेक्षा की।

लखीमपुर खीरी में हिंसा पर बोला सुप्रीम कोर्ट

» ऐसी घटनाओं के लिए कोई नहीं लेता जिम्मेदारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान महापंचायत नाम के संगठन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। किसान महापंचायत ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की परमिशन दी जाए। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या प्रदर्शन करने का हक मूल अधिकार है या नहीं। इसके साथ ही अदालत की बेंच ने किसानों के आंदोलन पर ही सवाल उठाया कि जब कानूनों के अमल पर रोक है तो विरोध किस बात का।

इसके साथ ही कहा कि कोर्ट के सामने मामला लंबित रहते याचिकाकर्ता विरोध कैसे कर सकते हैं। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि भविष्य में ऐसे किसी आंदोलन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि हमें लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को टालना है। इसके साथ ही उन्होंने रविवार को हुई हिंसा को लेकर दुख जताया। वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगनी जरूरी है।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि वह इस बात परीक्षण करेगी कि यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति या पार्टी अदालत का रुख करती है तो क्या उसी केस में वह आंदोलन भी कर सकते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की है। इस बीच यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। रविवार को भाजपा नेताओं के काफिले की गाड़ी से 4 किसानों की टकराकर मौत हो गई थी। इसके बाद भड़के किसानों की हिंसा में 4 भाजपा कार्यकर्ताओं के मरने की खबरें हैं।